पत्रांक– 78 (प्र0) /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 24 अगस्त, 2010

विषयः आपदा राहत निधि/राज्य आपदा रिस्पौंस निधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाग्रस्त (सुखाड़ग्रस्त) जिलों में मुफ्त साहाय्य वितरण के संबंध में।

महाशय,

कृपया दिनांक 20 अगस्त, 2010 को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के संचालन के संबंध में हुए विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का स्मरण करें। अवगत हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं0 1927/आ0प्र0, दिनांक 04.08.2010 द्वारा राज्य के 28 जिलों को प्राकृतिक आपदाग्रस्त (सुखाड़ग्रस्त) घोषित किया गया है। पुनः विभागीय अधिसूचना सं0 76(प्र0)/आ0प्र0, दिनांक 17.08.2010 द्वारा राज्य के शेष जिलों को प्राकृतिक आपदाग्रस्त (सुखाड़ग्रस्त) घोषित किया गया है। अधिसूचना की प्रतियाँ संबंधित जिला पदाधिकारियों/प्रमंडलीय आयुक्तों एवं राज्य सरकार के विभागों को प्रेषित हैं।

2. अधिसूचना के अनुसार सुखाड़ग्रस्त जिलों में आपदा राहत निधि/राज्य आपदा रिस्पांस निधि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दिये जानेवाले सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं। अवगत हैं कि आपदा राहत निधि के प्रावधानों के अनुसार वे व्यक्ति/परिवार मुफ्त साहायय वितरण के पात्र होते हैं जिन्हें जीवन यापन के लिए तुरंत सहायता की आवश्यकता है, जिनका अन्न भंडार समाप्त हो गया हो जिनके पास तुरंत सहायता का कोई साधन न हो। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सुखाड़ग्रस्त जिलों में राहत कार्य हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए प्रेषित मेमोरेण्डम के अनुसार निम्नलिखित पाँच कोटि के व्यक्तियों को मुफ्त साहायय वितरण का पात्र माना गया है।

- 60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्ति
- विधवाएँ
- विकलांग व्यक्ति
- असहाय रोगों से ग्रस्त वैसे व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करने में अक्षम हो, एवं
- निराश्रित व्यक्ति

3. उपरोक्त पाँच कोटि के व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जिला पदाधिकारियों/ग्रामीण विकास विभाग से सूचनाएँ प्राप्त कर उनकी संख्या का मोटा-मोटी आकलन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने उपरोक्त पाँच कोटि के व्यक्तियों की संख्या जिला पदाधिकारियों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार कर इस विभाग को उपलब्ध कराया है। इन पाँच कोटि के व्यक्तियों की संख्या की जिलावार विवरणी अनुलग्नक 01 पर संलग्न की जा रही है।

4. आपदा प्रबंधन समूह द्वारा सुखाड़ राहत कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि अल्प वर्षापात के कारण खरीफ फसलों का आच्छादन काफी कम हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यदि अब वर्षा होती भी है तो जिन खेतों में आच्छादन नहीं हो सका है, उनमें खरीफ फसलों का आच्छादन कदाचित नहीं हो सकेगा। कृषि क्षेत्र में कार्य नहीं मिलने के कारण मजदूरों के समक्ष रोजी-रोटी के संकट को देखते हुए सभी पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत कम से कम 2-2 योजनाएँ प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया है। परन्तु उपरोक्त कोटि के व्यक्ति, जिन्हें मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं मिल सकेगा अथवा जो कार्य करने में सक्षम न हो सकेंगे, सुखाड़ के कारण सर्वाधिक आरक्षित (vulnerable) बने रहेंगे। साथ ही उनके समक्ष आने वाले समय में रोजी-रोटी का संकट होगा। अतएव उन्हें मुफ्त साहाय्य देने की आवश्यकता होगी।

5. अतएव निम्नांकित बिन्दुओं पर शीघ्रताशीघ्र अपना प्रतिवेदन भेजने की कृपा करें :

- जिले में उपरोक्त 5 कोटि के व्यक्तियों की कोटिवार वास्तविक संख्या। (जिला पदाधिकारी अपने स्तर पर ऐसे व्यक्तियों की सूची संधारित कर लेंगे)।
- उपरोक्त 5 कोटि के व्यक्तियों को मुफ्त साहाय्य उपलब्ध कराने हेतु 30 दिनों के लिए आवश्यक राशि का आकलन। ज्ञातव्य हो कि आपदा राहत निधि के प्रावधानों के अनुसार वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 20/- रू0 तथा अवयस्क को प्रतिदिन 15/- रू0 मुफ्त साहाय्य अनुमान्य है।
- मुफ्त साहाय्य का वितरण कब से प्रारम्भ किया जाए, इस संबंध में स्पष्ट मंतव्य।

6. अनुरोध है उपरोक्त सूचनाएँ तीन दिनों के अंदर फैक्स द्वारा भेजने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन
24/8
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 78 (प्र०)/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 24.08.2010

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8
प्रधान सचिव